<u>राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर</u>

<u>प्रेस–नोट</u>

क्रमांक : एफ.6( )विविध / परीक्षा 'ग' / व0अ0 (माशि) / काउंसलिंग / 2022 / 1629 दिनांक : 29–09–2023

आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक–माध्यमिक शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा–2022 **<u>विषय–उर्दु</u>** के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु आयोग द्वारा विचारित सूची दिनांक 18.09.2023 को जारी कर दी गई हैं। विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच काउंसलिंग के माध्यम से **राजस्थान लोक सेवा आयोग, घूघरा घाटी, अजमेर कार्यालय परिसर** में दिनांक 06.10.2023 को दोपहर 1:30 बजे से सांय सत्र में आयोजित की जावेगी। पात्रता जांच उपरान्त पात्र पाये गये अभ्यर्थियों का आयोग द्वारा अन्तिम परिणाम जारी किया जावेगा। काउंसलिंग कार्यक्रम, विस्तृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश, काउंसलिंग पत्र व अन्य प्रपत्रादि आयोग की वेबसाईट **http://rpsc.rajasthan.gov.in** पर जारी किये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी संबंधित विषय की काउंसलिंग दिनांक से पूर्व आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर **<u>काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार</u>** भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियों मय स्वप्रमाणित दस्तावेजों की एक प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ **<u>निर्धारित दिनांक व समय पर अभ्यर्थी व्यक्तिशः काउंसलिंग हेतु उपस्थित होवें।</u>**

उर्दु की काउंसलिंग का कार्यक्रम निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	पद का विषय	Shift	परिणाम (विचारित–सूची) में सफल समस्त अभ्यर्थी	काउन्सलिंग की दिनांक	कुल अभ्यर्थियों की संख्या
01	उर्दू	E		06.10.2023	202

आयोग द्वारा आयोजित उक्त कांउन्सलिंग हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पृथक से कोई ऑफलाईन पत्र प्रेषित नहीं किया जायेगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी आयोग द्वारा अपलोड किये गये 02 पात्रता प्रपत्रों व काउन्सलिंग–पत्र के साथ अभ्यर्थियों के आवश्यक दिशा–निर्देशों को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होवें। काउंसलिंग मे अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अन्तिम परिणाम में विचारित नहीं किए जाऐंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। काउन्सलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(रामनिवास मेहता)
सचिव